

भाग - III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जुलाई, 2012

संख्या सा. का. नि.-22 / संवि. अनु. 309/2012.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम-2012 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 11 अप्रैल, 2012 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 19 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“19क. अन्तःकालीन उपबन्ध .- व्यक्ति जो इन नियमों के परिशिष्ट ख के टिप्पण (i) या (ii) (क) के अधीन वर्णित शर्तें पूरी करता है तथा हरियाणा राज्य शिक्षा प्राध्यापक विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में सम्बन्धित पदों के विरुद्ध खाना 3 के अधीन योग्यताएं रखते हैं भी केवल एक बार के लिए भर्ती के लिए पात्र होंगे :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच०टी०ई०टी०) तथा बी०एड० प्रथम अप्रैल, 2015 तक पास करनी होगी, तथा यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति किसी और नोटिस के दिए बिना स्वतः समाप्त समझी जाएगी।”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, टिप्पण (i) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) सीधी भर्ती की दशा में, निजी रूप से प्रबन्धित सरकारी सहायताप्राप्त, मान्यताप्राप्त तथा सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक को खाना 3 में यथावर्णित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच०टी०ई०टी०)/ विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस०टी०ई०टी०) तथा बी०एड० पास करने की योग्यताएं अर्जित करने के लिए छूट होगी यदि उन्होंने इन नियमों के लागू होने की तिथि को चार वर्ष की कम से कम अवधि के लिए अध्यापक के रूप में कार्य किया हो।”।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, टिप्पण (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) (क) कोई व्यक्ति जो इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व बी०एड० अर्हता के बिना हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच०टी०ई०टी०)/विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस०टी०ई०टी०) पास किया है, वह सीधी भर्ती की दशा में पी०जी०टी० के पद के लिए इन नियमों के संशोधन के बाद की गई प्रथम भर्ती में केवल एक बार के लिए पात्र समझा जाएगा।

(ख) इन नियमों के खाना 3 के अधीन परिशिष्ट ख में जहां कहीं ‘लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड’ की शर्त है, टिप्पण (i) या (ii) (क) के अधीन पात्र उम्मीदवारों की दशा में इन नियमों के अधीन की गई प्रथम भर्ती के दौरान लागू नहीं की गई समझी जाएगी।”।

सुरीना राजन,
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़ ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 2nd July, 2012

No. GSR 22/Const. Art.309/2012 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service Rules, 2012, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from 11th April, 2012.

2. In the Haryana State Education School Cadre (Group B) Service Rules, 2012 (hereinafter called the said rules), after rule 19, the following rule shall be inserted, namely:—

“19 A. Transitional provision.— The person fulfilling the conditions enunciated under note (i) or (ii)(a) of Appendix B to these rules and possess the qualifications under column 3 mentioned against the respective posts in the Haryana State Education Lecturer School Cadre (Group C) Service Rules, 1998, shall also be eligible for recruitment as a one time measure :

Provided that such person shall have to qualify the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) and B.Ed. by 1st April, 2015 and if he fails to do so, his appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.”.

3. In the said rules, in Appendix B, for note (i), the following note shall be substituted, namely;—

“(i) That in case of direct recruitment, the teachers working in privately managed Government aided, recognized and Government schools, are exempted from having qualifications of Haryana Teachers Eligibility Test or School Teachers Eligibility Test and B.Ed. as described in column 3, if they have worked as a teacher for a minimum period of four years on the date of enforcement of these rules.”.

4. In the said rules, in Appendix B, for note (ii), the following note shall be substituted, namely;—

- “(ii) (a) A person who has passed Haryana Teachers Eligibility Test or School Teachers Eligibility Test without the qualification of B.Ed., before the notification of these rules, shall also be considered eligible for the post of PGT in the case of direct recruitment as one-time measure in the first recruitment to be held after amendment of these rules.
- (b) The condition of ‘Consistent Good Academic Record’ wherever appearing in Appendix B, under column 3 of these rules shall not be made applicable during the first recruitment made under these rules, in the case of candidates eligible under note (i) or (ii)(a)”

SURINA RAJAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
School Education Department, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जुलाई, 2012

संख्या सा. का. नि.-23 / संवि. अनु. 309/2012.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा नियम-2012 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 11 अप्रैल, 2012 से लागू हुए समझे जाएंगे।
2. मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 19 के बाद, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“19क. अन्तःकालीन उपबन्ध :- व्यक्ति जो इन नियमों के परिशिष्ट ख के टिप्पण (i) या (ii) (क) के अधीन वर्णित शर्तें पूरी करता है तथा हरियाणा राज्य शिक्षा प्राध्यापक विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में सम्बन्धित पदों के विरुद्ध खाना 3 के अधीन योग्यताएं रखते हैं, भी केवल एक बार के लिए भर्ती के लिए पात्र होंगे :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच०टी०ई०टी०) तथा बी०एड० प्रथम अप्रैल, 2015 तक पास करनी होगी, तथा यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति किसी और नोटिस के दिए बिना स्वतः समाप्त समझी जाएगी।”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, टिप्पण (i) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ (i) सीधी भर्ती की दशा में, निजी रूप से प्रबन्धित सरकारी सहायताप्राप्त, मान्यताप्राप्त तथा सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक को खाना 3 में यथावर्णित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच०टी०ई०टी०)/ विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस०टी०ई०टी०) तथा बी०एड० पास करने की योग्यताएं अर्जित करने के लिए छूट होगी यदि उन्होंने इन नियमों के लागू होने की तिथि को चार वर्ष की कम से कम अवधि के लिए अध्यापक के रूप में कार्य किया हो।”।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, टिप्पण (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
- “ (ii) (क) कोई व्यक्ति जो इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व बी०एड० अर्हता के बिना हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एच०टी०ई०टी०)/ विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (एस०टी०ई०टी०) पास किया है, वह सीधी भर्ती की दशा में पी०जी०टी० के पद के लिए इन नियमों के संशोधन के बाद की गई प्रथम भर्ती में केवल एक बार के लिए पात्र समझा जाएगा।
- (ख) इन नियमों के खाना 3 के अधीन परिशिष्ट ख में जहां कहीं 'लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड' की शर्त है, टिप्पण (i) या (ii) (क) के अधीन पात्र उम्मीदवारों की दशा में इन नियमों के अधीन की गई प्रथम भर्ती के दौरान लागू नहीं की गई समझी जाएगी।”।

सुरीना राजन
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़ ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 2nd July, 2012

No. GSR 23/Const. Art.309/2012 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend Mewat District School Education (Group B) Service Rules, 2012, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mewat District School Education (Group B) Service (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from 11th April, 2012.

2. In the Mewat District School Education (Group B) Service Rules, 2012 (hereinafter called the said rules), after rule 19, the following rule shall be inserted, namely :—

“19 A. Transitional provision.— The person fulfilling the conditions enunciated under note (i) or (ii)(a) of Appendix B to these rules and possessing the qualifications under column 3 mentioned against the respective posts in the Haryana State Education Lecturer School Cadre (Group C) Service Rules, 1998, shall also be eligible for recruitment as a one time measure:

Provided that such person shall have to qualify the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) and B.Ed. by 1st April, 2015 and if he fails to do so, his appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.”

3. In the said rules, in Appendix B, for note (i), the following note shall be substituted, namely;—

“(i) That in case of direct recruitment, the teachers working in privately managed Government aided, recognized and Government schools, are exempted from having qualifications of Haryana Teachers Eligibility Test or School Teachers Eligibility Test and B.Ed. as described in column 3, if they have worked as a teacher for a minimum period of four years on the date of enforcement of these rules.”

4. In the said rules, in Appendix B, for note (ii), the following note shall be substituted, namely;—

“(ii) (a) A person who has passed Haryana Teachers Eligibility Test or School Teachers Eligibility Test without the qualification of B.Ed., before the notification of these rules, shall also be considered eligible for the post of

PGT in the case of direct recruitment as one time measure in the first recruitment to be held after amendment of these rules.

- (b) The condition of 'Consistent Good Academic Record' wherever appearing in Appendix B, under column 3 of these rules shall not be made applicable during the first recruitment made under these rules, in the case of candidates eligible under note (i) or (ii)(a)."

SURINA RAJAN,

Principal Secretary to Government Haryana,
School Education Department, Chandigarh.